न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 193 / 2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

1. गुरचरण सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
2. रणजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज

वादीगण

बनाम

1. नसीब कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
3. दलीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
4. नक्षत्र सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
5. सरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज (फौत)
6. जसवंत कौर पत्नी हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित –
1. श्री सुशील कुमार अधिवक्ता एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री देवेन्द्र अधिवक्ता (प्रति.सं. 1 ता 3)
3. श्री सुभाष सैन अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 4 ता 6)

दिनांकः– 16.9.2022

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादी के नाम से चक 7 आईडीजी के खाता स0 24 / 27 खाता गुरचरण सिंह खाता सं0 25 / 29 खाता गुरचरण सिंह 7 पीटीपी के खाता सं0 20 / 24 में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी सं0 1 व 2 के नाम से चक 7 आईडीजी के खाता सं0 24 / 27 में 0.419 हैक्टर प्रत्येक व चक 7 आईडीजी के खाता सं0 25 / 29 में 0.253 हैक्टर प्रत्येक व चक 7 पीटीपी के खाता स0 20 / 24 में 0.307 हैक्टर प्रत्येक के नाम इस प्रकार प्रत्येक वादी के नाम कुल 0.979 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की माता जसवंत कौर के नाम से चक 7 आइडीजी के खाता सं0 24 / 27 में 0.826 हैक्टर 7 आईडीजी के खाता सं0 25 / 29 में 0.253 हैक्टर चक 7 पीटीपी के खाता सं0 20 / 24 में 0.307 हैक्टर कुल 1.386 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण की माता द्वारा अपना समस्त हक व हिस्या वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के हक में परित्याग कर दिया है। इस कृषि भूमि के अलावा पंजाब में भी कुछ कृषि भूमि थी पजाब की कृषि भूमि तबादला में दर्शन सिंह के वारीशान प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को प्राप्त हो गई पंजाब की कृषि भूमि का इंतकाल प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गया प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम से पंजाब की कृषि भूमि का नामात्रण होने के कारण पंजाब की कृषि भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं रहा और प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का राजस्थान की चक 7 आईडीजी व 7 पीटीपी की कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा इस समस्त बटवारे के बाद वादी गुरचरण सिंह के हिस्सा में 1.549 हैक्टर तथा वादी रणजीत सिंह के हिस्सा में 1.695 हैक्टर कृषि भूमि हिस्सा में आई। वादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है वादी व प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा अपने हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि का घरू बटवारा कर लिया है मुताबिक घरू बटवारा के वादीगण प्रतिवादी सं0 4 व 5 काबिज चले आ रहे हैं वादीगण कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है अब वादीगण अपनी कृषि भूमि संयुक्त नहीं रखना चाहते इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। इस सन्दर्भ में कोई विवाद नही है। वादीगण अब अपनी कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त नही रखना चाहते क्योकि वादीगण अपनी कृषि भूमि में अच्छी व उन्नत फसल प्राप्त करना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सीव बट का विवाद न रहे। इसलिए वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते है।

16/9

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लिहाजा वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रति.सं. 4 व 5 एवं वादीगण ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 6 जसवन्तकौर की मृत्यु होने एवं उनके वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर होने का कथन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को प्रतिवादीगणों द्वारा स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं. 7 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी गुरचरण सिह ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 7 पीटीपी खाता सं. 20/24 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व चक 7 आईडीजी खाता संख्या 24/27 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 की जमाबंदी प्रदर्श 2 एवं चक 7 आईडीजी खाता संख्या 25/29 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 की जमाबंदी प्रदर्श 3 करवाई गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा मय इकबाल दावा एवं राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा मय इकबालदावा एवं राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा मय इकबालदावा एवं राजीनामा/साक्ष्यों के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:-

1. वादी संख्या 1 गुरचरण सिह के हक व हिस्सा में चक नम्बर 7 आईडीजी के पं.न. 127/125 मु.न. 58 किला नम्बर 21 प.न. 127/126 मु.न. 71 किला नम्बर 1/0.228, 10/0.253, पं.न. 126/126 मु.न. 70 किला नम्बर 5/1/0.058, 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 73/39/0.025 गै.मु. कुल 1.576 है. कृषि भूमि
2. वादी संख्या 2 रणजीत सिह के हक व हिस्सा में चक नम्बर 7 आईडीजी प.न. 126/126 मु.न. 70 के किला नम्बर 18,22,23/0.253 है.प्र चक नम्बर 7 पीटीपी के पं.न. 129/134 मु.न. 47 किला नम्बर 5/1/0.177 है. 6/0.228, 15/0.228, 16/0.228, मु.न. 49/11/0.101 गै.मु. कुल 1.721 है. कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 4 नक्षत्र सिह के हक व हिस्से में चक नम्बर 7 आईडीजी के पं.न. 126/126 मु.न. 70 किला नम्बर 5/2/0.170 है. 7/0.253, 8/1/0.126, 13,14,17 प्रत्येक 0.253 है. 0.025 हैक्टर गैरमुमकिन कुल 1.333 है. कृषि भूमि
4. प्रतिवादी संख्या 5 सरजीत सिह पुत्र हरिसिह के हक व हिस्सा में चक नम्बर 7 आईडीजी पं.न. 126/126 मु.न. 70 किला नम्बर 12,19,20 प्रत्येक 0.253 है. व चक नम्बर 7 पीटीपी पं.न. 129/134 मु.न. 47 किला नम्बर 14/1/0.126, 17,24,25 गैर मुमकिन खाला कुल 1.644 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करने एवं चक नम्बर 7 आईडीजी में मु.न. 70 के किला नम्बर 24 के साथ लगते हुए किला नं. 23 में दक्षिण से उतर की ओर चौड़ाई 12 फुट तथा आगे किला नम्बर 18 में 12 X 12 फुट व इसके बाद उक्त रास्ता पूर्व की ओर किला नम्बर 17 में किला नम्बर 24 के साथ-साथ 12 फुट चौड़ा व 1 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत कर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

नोटः- उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 / 53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 193 / 2018

1. गुरचरण सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
2. रणजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज

वादीगण

बनाम

1. नसीब कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
3. दलीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
4. नक्षत्र सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
5. सरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज
6. जसवंत कौर पत्नी हरी सिंह जाति कुम्हार निवासी रासुवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज. (फौत)
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार अधिवक्ता व मिन मुदायला प्रति सं. 1 से 3 श्री देवेन्द्र एडवोकेट व श्री सुभाष सैन प्रतिवादी संख्या 4,5 एव राज पैराकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि :-

1. वादी संख्या 1 गुरचरण सिह के हक व हिस्सा में चक नम्बर 7 आईडीजी के पं.न. 127 / 125 मु.न. 58 किला नम्बर 21 प.न. 127 / 126 मु.न. 71 किला नम्बर 1 / 0.228, 10 / 0.253, पं.न. 126 / 126 मु.न. 70 किला नम्बर 5 / 1 / 0.058, 6 / 0.253, 15 / 0.253, 16 / 0.253, 73 / 39 / 0.025 गै.मु. कुल 1.576 है. कृषि भूमि
2. वादी सख्या 2 रणजीत सिह के हक व हिस्सा में चक नम्बर 7 आईडीजी प.न. 126 / 126 मु.न. 70 के किला नम्बर 18,22,23 / 0.253 है.प्र चक नम्बर 7 पीटीपी के पं.न. 129 / 134 मु.न. 47 किला नम्बर 5 / 1 / 0.177 है. 6 / 0.228, 15 / 0.228, 16 / 0.228, मु.न. 49 / 11 / 0.101 गै.मु. कुल 1.721 है. कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 4 नक्षत्र सिह के हक व हिस्से में चक नम्बर 7 आईडीजी के पं.न. 126 / 126 मु.न. 70 किला नम्बर 5 / 2 / 0.170 है. 7 / 0.253, 8 / 1 / 0.126, 13,14,17 प्रत्येक 0.253 है. 0.025 हैक्टर गैरमुमकिन कुल 1.333 है. कृषि भूमि
4. प्रतिवादी संख्या 5 सरजीत सिह पुत्र हरिसिह के हक व हिस्सा में चक नम्बर 7 आईडीजी पं.न. 126 / 126 मु.न. 70 किला नम्बर 12,19,20 प्रत्येक 0.253 है. व चक नम्बर 7 पीटीपी पं.न. 129 / 134 मु.न. 47 किला नम्बर 14 / 1 / 0.126, 17,24,25 गैर मुमकिन खाला कुल 1.644 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करने एवं चक नम्बर 7 आईडीजी में मु.न. 70 के किला नम्बर 24 के साथ लगते हुए किला नं. 23 में दक्षिण से उतर की ओर चौड़ाई 12 फुट तथा आगे किला नम्बर 18 में 12 X 12 फुट व इसके बाद उक्त रास्ता पूर्व की ओर किला नम्बर 17 में किला नम्बर 24 के साथ-साथ 12 फुट चौड़ा व 1 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत कर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट:- उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

खर्चा मुकदमें के मय शुद वा निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल X शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/09/2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया